झारखंड सरकार
झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार,
सातवां तल्ला, राँची नगर निगम भवन, कचहरी रोड, राँची – 834 001

अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

पत्रांक- JRERA/वाहन- 02/2018- 43 राँची, दिनांक- 19.01.2022

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड भू–संपदा नियामक प्राधिकार (झारेरा), राँची के प्रयोजनार्थ– 01(एक) स्विफ्ट डिजायर (Swift Dzire) वाहन के मासिक किराया पर परिचालन हेतु इच्छुक स्थानीय निबंधित ट्रेवल एजेंसियों से निविदा आमंत्रण संख्या– 617, दिनांक– 02.11.2021 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी। कतिपय कारणों से उक्त निविदा निरस्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी के नाम पर सीलबंद लिफाफे में पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. विज्ञापनदाता का नाम– झारखण्ड भू–संपदा नियामक प्राधिकार, राँची।
2. निविदा प्रारंभ की तिथि– दिनांक– 19.01.2022
3. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि– दिनांक– 03.02.2022 अपराहन् 4:30 बजे तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय– दिनांक– 04.02.2022 अपराहन् 12:30 बजे तक।

विस्त्त सूचना, निविदा एवं परिचालन की शर्तें झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के ऑफिसियल वेबसाइट– www.jharera.jharkhand.gov.in पर देखी जा सकती ळें

ह0/-
मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी,
झारेरा, राँची।

झारखण्ड भू–संपदा नियामक प्राधिकार (झारेरा), राँची के प्रयोजनार्थ– 01(एक) स्विफ्ट डिजायर (Swift Dzire) वाहन के मासिक किराया पर लेने हेतु आमंत्रित निविदा की परिचालन की शर्तें व अन्य शर्तें निम्नवत हैः–

---

i. किराये पर लिये जानेवाले वाहन का निबंधन झारखण्ड राज्य में व्यवसायिक वाहन के रूप में निबंधित होना अनिवार्य है। (संलग्न करें)

ii. संबंधित प्रतिष्ठान का GSTIN एवं PAN/TAN होना अनिवार्य है, जिसका सरकारी प्रावधानित नियमों के अनुसार TDS की कटौती की जायेगी। (संलग्न करें)

iii. 03 वर्ष से अधिक पुराना वाहन अनुमान्य नहीं होगा। (संलग्न करें)

iv. उक्त वाहन के उपभोग के दौरान वाहन अथवा चालक को किसी दुर्घटना से क्षति का दायित्व इस कार्यालय पर नहीं होगा।

v. वाहन में ख़राबी/व्यवधान होने की स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता को अविलम्ब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

vi. संबंधित ट्रेवल एजंसी अनुबंध के शर्तों के अनुरूप ससमय वाहन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।

vii. वाहन के चालक के पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित ट्रेवल एजेंसी द्वारा किया जाएगा तथा एक Undertaking देना अनिवार्य होगा कि चालक के भुगतान एवं अन्य सेवा शर्त राज्य में लागू श्रम कानूनों के अधीन किया जा रहा है।

viii. वाहन के चालक का लाइसेंस अद्यतन होना अनिवार्य होगा।

ix. उक्त वाहन के रख–रखाव पर होनेवाले व्यय/सभी प्रकार के टैक्स एवं इन्सुरेंस प्रीमियम का भुगतान संबंधित ट्रेवल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

x. अधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित लॉगबूक एवं निर्धारित प्रति किलोमीटर ईंधन की खपत के आधार पर ईंधन आपूर्ति एवं मासिक किराया के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

xi. उक्त वाहन की परिचालन पदाधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित ट्रेवल एजेंसी द्वारा 24 x 7 अवधि हेतु किया जाएगा तथा भ्रमण अवधि में चालक द्वारा बिना अनुमति के वाहन को अन्यत्र कहीं भी नहीं ले जाया जा सकेगा।

xii. किराये पर लिए जाने वाले वाहन की संविदा को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार झारेरा कार्यालय को सुरक्षित रहेगा।

ह0/-
मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी,
झारेरा, राँची।